NRLM अंतर्गत महिला स्व–सहायता समूहों को जिला पंचायत कोरबा परिसर में दुकान आबंटन हेतु

रूचि की अभिव्यक्ति

NRLM के तहत महिला स्व–सहायता समूहों को आय–मूलक गतिविधि से जोड़कर उनके आजीविका अभिवृद्धि हेतु जिला पंचायत परिसर में नव निर्मित " बिहान प्लाजा " अंतर्गत दुकानों के आबंटन हेतु कोरबा जिला मुख्यालय के 20 से 25 Km परिक्षेत्र के ग्रामीण महिला स्व सहायता समूहों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई) में सम्मिलित होने से संबंधित आवश्यक बिन्दु एवं अन्य जानकारीः–

1. ग्रामीण महिला स्व–सहायता समूहों का NRLM Fold में पंजीयन एवं समूह संचालन हेतु निर्धारित 11 सूत्रों जो अधोनुसार है, का पालन किया जाना अनिवार्य होगा–
   - नियमित बैठक।
   - नियमित बचत।
   - नियमित आपसी लेन–देन
   - नियमित ऋण वापसी
   - स्वच्छ पुस्तक एवं दस्तावेज संधारण
   - स्वच्छ समूह (ओ.डी.एफ.)
   - शिक्षित समूह
   - नशा मुक्त समूह
   - स्वस्थ्य समूह (संस्थागत प्रसव एवं सम्पूर्ण टीकाकरण)
   - सुपोषित समूह
   - ग्राम सभा में सहभागिता
2. चयन प्रक्रिया दो चरणों मे पूर्ण की जावेगी। प्रथम चरण में प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन पर कुल 85 अंक निर्धारित होंगे, तत्पश्च्यात् अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले समूह को 1:3 के अनुपात में बुलाया जाकर, उनकी समुह चर्चा करायी जावेगी। जिसमें 15 अंक निर्धारित होंगे। इस प्रकार से समुह चयन हेतु अधिकतम कुल 100 अंक निर्धारित होंगे।
3. बी.पी.एल. समुहों को प्राथमिकता दी जावेगी।
4. ग्रामीण महिला स्व–सहायता समूह का चयन मुख्य रूप से कुल 07 आयमूलक गतिविधि क्रमशः 1. स्टेशनरी 2. फोटोकॉपी 3. फ्रुट्स एवं जूस कार्नर 4. बिहान क्राफ्ट 5. फ्लावर पांइट एवं कागज के डिस्पोजल सामाग्री, 6. होम मेड फूड (चिप्स, आचार, बड़ी, पापड़, मसाला, मशरूम, शहद, इत्यादि), 7. चना–मुर्रा, बिहान चाट–चटपटा विक्रय हेतु ही बिहान प्लाजा में उपलब्ध दुकानों का आंबटन किया जायेगा।
5. एक समूह केवल एक प्रकार के व्यवसाय हेतु EOI दे सकती है।
6. इच्छुक समूह अपनी समस्त जानकारी निर्धारित प्रपत्र में रूपये 50/– मात्र की प्रक्रिया शुल्क NRLM शाखा जिला पंचायत कोरबा में जमा कर EOI हेतु निर्धारित फॉर्म कार्यालयीन अवधि अंतर्गत 10:30 से 5:00 बजे तक प्राप्त कर सकते है।
7. EOI सें संबंधी समस्त निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर कोरबा को प्राप्त होगें एवं उनका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
8. EOI के आवेदन फार्म जिला पंचायत कोरबा के NRLM शाखा में इच्छुक समूह के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालयीन अवधि में जमा कर सकते हैं। EOI के आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 07/12/17 सांय. 5:00 बजे तक होगी। निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।
9. किसी भी समूह में पुरूष सदस्य मान्य नही होगें। केवल दिव्यांग समूह को छोड़कर।
10. दिव्यांग समूह अथवा समूह में दिव्यांग सदस्य होने पर उन्हें नियमानुसार प्राथमिकता दी जावेगी। इस हेतु दिव्यांग सदस्य का फोटो एवं मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति ई.ओ.आई. फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
11. दुकान का आबंटन एक वर्ष हेतु किया जायेगा। जिसे समूह के कार्य निस्पादन व क्षमता के आंकलन के आधार पर आंबटन अवधि में वृद्धि(पुर्नआबंटन) का विचार किया जावेगा।

12. आबंटित दुकानों का रखरखाव, विद्युत देयक अन्य सुविधाओं का भुगतान संबंधित समूह द्वारा किया जाना होगा।
13. दुकान आबंटन पश्चात् व्यवसाय की स्थापना एवं संचालन की जिम्मेदारी संबंधित समुह की होगी।
14. व्यवसाय से संबंधित समस्त दस्तावेज संधारित करने तथा शासन के नियमानुसार दिए जाने वाले टैक्स से संबधित सभी कार्यवाही पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित समूह का होगा।
15. संबंधित समूह द्वारा स्वंय के दुकान का बिल बुक एवं सील रखना अनिवार्य होगा।
16. दुकान में विक्रय किये जाने वाले सामाग्री/सेवा दिए जाने वाले सुविधा के दर का प्रदर्शन दुकान पर स्पष्ट रूप से किया जाना होगा।
17. EOI में संलग्न किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों का क्रम निर्धारण कर क्रमांक अंकित करना एवं संस्था प्रमुख के द्वारा सत्यापन स्वरूप प्रतिहस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

NRLM का संक्षिप्त परिचय :–

यह योजना गरीबों विशेष रूप से महिलाओं की मजबूत संस्था निर्माण के माध्यम से गरीबी कम करने को बढ़ावा देने एवं कई वित्तिय सेवाओं और आजीविका सेवाओं का उपयोग कर इन संस्थाओं को सक्षम बनाने संबंधी प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबों को कार्यात्मक प्रभावी समुदाय के स्वामित्व वाली संस्थाओं में जुटने, उनके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और उनके आजीविका को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से भौतिक संसाधनों के गहन प्रयोग पर केन्द्रित किया गया है। एनआएलएम गरीबों की सेवाओ के संस्थागत प्लेटफार्म का पूरक है। जिसमें वित्तीय और पूंजी सेवाएं देना, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने वाली सेवाए, प्रोद्योगिकी, ज्ञान, कौशल और इनपुट, बाजार संबद्धता आदि शामिल है।

NRLM का उद्देश्य :–

- छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवारों से कम से कम एक महिला को स्व–सहायता समूह से जोड़ना।
- स्व–सहायता समूह की महिलाओं का सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेश, बाजार एवं अधोसरंचना उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण गरीब परिवार की वार्षिक आय न्यूनतम राशि रू. 1,00,000/– से अधिक, वृद्धि कराना।
- मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित संरचना की व्यवस्था।

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) के पात्रता का मापदण्ड :–

क्रं.	मापदण्ड	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1	एनआरएल फोल्ड में पंजीकृत हो।	एनआरएल फोल्डर में पंजीयन होने का परीक्षण कार्यालय द्वारा किया जावेगा।
2	एन.आर.एल.एम. अंतर्गत समुह को पिछले 03 महिनों में वित्तीय सहायता के रूप में चक्रिय निधि, समुदाय निवेश निधि अथवा ग्राम संगठन स्टॉर्ट–अप निधि प्राप्त हुई हो अथवा प्राप्ति हेतु पात्रता रखती हो।	इस संदर्भ में एन.आर.एल.एम. योजनांतर्गत प्रदाय की गई एस.एच.जी. बुक ऑफ रिकार्ड्स के पिछले तीन माह का कार्यवाही/संधारण की छायाप्रति। ई.ओ.आई. परीक्षण दल द्वारा यदि आवश्यक समझी जावे तो एस.एच.जी. बुक्स ऑफ रिकार्ड से संबंधित पंजीयों को परीक्षण हेतु कार्यालय में मंगवाया जा सकता है।
3	समूह कोरबा जिला मुख्यालय के 20 से 25 कि.मी. परिक्षेत्र का हो।	समूह के निर्धारित परिक्षेत्र में स्थित होने संबंधी ग्राम का पता एवं सरपंच/सचिव का सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र।

रूचि की अभिव्यक्ति में प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकनः–

प्रथम चरणः– आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी/मापदंडों पर मूल्यांकन

क्रं.	मापदण्ड	अधिकतम प्राप्तांक	संलग्न हेतु आवश्यक दस्तावेज
1	समुह का एन.आर.एल.एम. पोर्टल पर पंजीयन।	05	कार्यालय द्वारा संबंधित पोर्टल से मिलान किया जावेगा।
2	बी.पी.एल. समुह	05	समुह में न्यूनतम 05 सदस्यों का बी.पी.एल. श्रेणी के होने संबंधी प्रमाण पत्र/दस्तावेज।
3	नियमित बैठक • पिछले 03 माह में कुल 12 बैठक करने पर	10	बैठक पंजी का सत्यापित छायाप्रति।
	• पिछले 03 माह में 12 से कम एवं न्यूनतम 08 बैठक करने पर	05	
	• पिछले 03 माह में 08 से कम बैठक करने पर	03	
4	नियमित बचत • पिछले 03 माह में सभी सदस्यों द्वारा कुल 12 बैठकों में राशि जमा करने पर	10	बचत पंजी की सत्यापित छायाप्रति।
	• पिछले 03 माह में 12 से कम बैठकों में राशि जमा करने पर	05	
5	आपसी लेन–देन • पिछले 03 माह में जमा राशि के 60 प्रतिशत राशि का आपसी लेन–देन करने पर	10	ऋण पंजी की सत्यापित छायाप्रति।
	• पिछले 03 माह में जमा राशि के 60 प्रतिशत राशि से कम राशि का आपसी लेन–देन करने पर	05	
6	ऋण वापसी (रिवाईव्ड ग्रुप होने पर)	05	कार्यालय द्वारा संबंधित पोर्टल से मिलान किया जावेगा।
7	रोकड़ पंजी का अघतन संधारण	05	रोकड़ पंजी की सत्यापित छायाप्रति।
8	पासबुक का अघतन संधारण	05	पासबुक के अंतिम तीन माह में हुए व्यवहार की छायाप्रति।
9	दिव्यांग समुह		
	• न्यूनतम 05 अथवा उससे अधिक दिव्यांग होने पर	05	दिव्यांग होने से संबंधित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र।
	• समुह में 05 से कम एवं न्यूनतम 03 सदस्यों के दिव्यांग होने पर	03	
	• समुह में 03 से कम एवं न्यूनतम 01 सदस्य के दिव्यांग होने पर	02	
10	शिक्षित समुह • न्यूनतम 05 सदस्यों का आठवीं अथवा उससे अधिक शिक्षित होने पर	05	समुह सदस्यों के शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। (उत्तीर्ण होने की स्थिती में)

	• न्यूनतम 03 सदस्यों का पांचवी या उससे अधिक एवं आठवीं से कम शिक्षित होने पर	03	
	• समुह में 03 से कम सदस्यों के शिक्षित होने (न्यूनतम पांचवी) अथवा सभी सदस्यों के अशिक्षित होने पर	0	
11	**समुह की ग्राम सभा में सहभागिता** • पिछले 03 माह में समुह के सभी सदस्यो द्वारा ग्राम सभा में सहभागिता पर	**05**	पिछले 03 माह में समुह सदस्यों
	• पिछले 03 माह में समुह के 05 सदस्यो (50%) द्वारा ग्राम सभा में प्रतिभागिता न किये जाने पर	03	
	• पिछले 03 माह में समुह के किसी भी सदस्य द्वारा प्रतिभागिता न किये जाने पर	0	
12	**समुह द्वारा की जा रही गतिविधि के लाभ का प्रतिशत्।**		समुह द्वारा पिछले 03 माह के संधारित कैश बुक की छाया प्रति।
	• 20 प्रतिशत् अथवा उससे अधिक लाभ होने पर	**10**	
	• 20 प्रतिशत् से कम एवं 10 प्रतिशत् तक लाभ होने पर	07	
	• 10 प्रतिशत् से कम लाभ होने पर	05	
13	**गांव के विकास एवं अन्य गतिविधियो में सहभागिता**		सहभागिता का प्रमाण पत्र अथवा ग्राम विकास के अन्य योजनाओं के बैठकों में सम्मिलित होने संबंधी बैठक पंजी की सत्यापित छायाप्रति, जिसमें समुह सदस्य के हस्ताक्षर हों।
	• शासन की किसी भी विकास योजना में सहभागी होने पर	**05**	
	• शासन की किसी भी विकास योजना में सहभागिता न होने पर	0	

उपरोक्त मूल्यांकन में कुल 85 अंक निर्धारित किये गये है।

मूल्यांकन का द्वितीय चरणः–

इस मूल्यांकन में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले समुहों को **1:3** के अनुपात में बुलाया जाकर, उनकी समुह चर्चा करायी जावेगी। समुह चर्चा का विषय तत्काल उपलब्ध कराया जावेगा एवं इसकी सूचना व समुह चर्चा के स्थान/स्थल की जानकारी पृथक से दी जावेगी। समुह चर्चा पर कुल **15** अंक निर्धारित होंगे। इस प्रकार से प्रथम एवं द्वितीय चरण के मूल्यांकन **(दस्तावेज परीक्षण पर 85 अंक एवं समुह चर्चा पर 15 अंक मिलाकर कुल 100 अंक)** के आधार पर उपयुक्त समुहों का चयन किया जावेगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरबा (छ.ग.)